केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/360 दिनांक: 07.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00357
CICOM/R/2016/00765

अपीलकर्ता : श्री तनवीर अहमद सिद्दिकी,
सरवरी अपार्टमेंट, बर्लिंगटन कंपाउंड,
निकट मेडवेल होस्पीटल, कैंट रोड,
थाना – कैसरबाग, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश – 226001.

निर्णय की तारीख : 07.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	20.06.2016, 27.06.2016 एवं 28.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार, श्री रघुवीर सिंह, श्री ए. के. गहलोत
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	167209/29.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	508/30.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/CC/A/2014/000991 के सुनवाई हेतु लंबित (पेंडिंग) होने से संबंधित 5 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, श्री रघुवीर सिंह व श्री ए.के. गहलोत, जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है । प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि जन सूचना अधिकारी ने 30 दिन बाद भी आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं 1 से 5 तक की सम्पूर्ण सूचना नहीं दी है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 08.06.2016 को डायराइज हुआ और दिनांक 09.06.2016 को आयोग के आर.टी.आई. सेल में प्राप्त हुआ, आयोग के आर.टी.आई. सेल द्वारा दिनांक 15.06.2016 को उक्त आवेदन आयोग के अन्य जन सूचना अधिकारियों को सीधे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किया या तथा दिनांक 28.06.2016 तक सभी जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । अत: अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया अभियोग निराधार साबित होता है । अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में श्री रघुवीर सिंह द्वारा प्रदान की गई समुचित सूचना के बाद अधोहस्ताक्षरी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए.के.गहलोत, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
3. श्री रघुवीर सिंह, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।